भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 984

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन</u>

984. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बुन्देलखण्ड में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना पर कितना व्यय हुआ है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं;

- ओटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को साफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना,
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यापक स्तर पर स्थापना करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनजी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट-एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावती, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,

- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया,
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना। इस ट्रेजेक्टरी के तहत, प्रति वर्ष 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) और मध्या प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बुंदेलखण्ड क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैः

उत्तर प्रदेशः

उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति-2022 की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नानुसार विशेष उपाय/प्रोत्साहन प्रदान किए हैं;

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित 5 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा परियोजनाओं की ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, राज्य सरकार अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन लंबाई के निर्माण की लागत निम्नानुसार वहन करेगीः

    - 05 से 10 मेगावाट क्षमता हेतु-10 कि.मी
    - >10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए-15 किलोमीटर
    - >50 मेगावाट क्षमता के लिए-20 किलोमीटर

2. बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा के 4000 मेगावाट वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-2 ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

3. राज्य में अलग-अलग कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए वितरण सब स्टेशन से जुड़े ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों सहित राज्य के सभी जिलों में इन प्रणालियों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट की अधिकतम व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करेगी।

4. "शौर्य उत्तर प्रदेश योजना" के अंतर्गत निजी आवासीय क्षेत्र में नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रणाली की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बुंदेलखंड के जिलों सहित राज्य

के सभी जिलों के लिए 15,000 रु. प्रति किलोवाट की राज्य सरकार सब्सिडी, प्रति उपभोक्ता 30,000 रु. की अधिकतम सीमा तक उपलब्ध है।

मध्य प्रदेशः

पीएम कुसुम "ए"-टीकमगढ़, दमोह, सागर और पन्ना जिलों में पीएम-कुसुम-ए योजना के तहत अक्षय विद्युत जनरेटर (आरपीजी) नामक किसानों/किसानों के समुह द्वारा सौर विद्युत संयंत्र चालू किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की खरीद की जा रही है।

पीएम-कुसुम "बी"- सरकार ने बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वैकल्पिक ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन के उपाय किए हैं। इस क्षेत्र में कृषि उद्देश्य से स्टैंड अलोन सौर पंप भी स्थापित किए गए हैं।

बुंदेलखंड क्षेत्र को एमपीयूवीएन की नियमित योजना के अनुसार, रूफटॉप सौर और कुसुम-सी योजना के तहत भी शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश नवीकरणीय नीति 2022 के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रमुख रूप से निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/कंपनी/निवेश द्वारा विकसित किया जाता है।

सरकार ने इस क्षेत्र में 450 मेगावाट के छतरपुर सौर पार्क के विकास के लिए भूमि चिह्नित की है।

पीएम-कुसुम-क- विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएम-कुसुम-ख- योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना पर निम्नलिखित व्यय किया है;

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना	क्षमता (मेगावाट)	प्रोत्साहन/सब्सिडी के रूप में व्यय की मात्रा (लाख रु.)
ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र	514	1558.14
ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप प्रणालियाँ	1.5	117.00

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कुसुम "ए"- पीएम कुसुम-ए योजना के तहत, स्थापना पर होने वाला व्यय आरपीजी (किसानों/किसानों के समूह, आदि) द्वारा वहन किया जाता है। कुसुम "बी"-पिछले 5 वर्षों के दौरान बुंदेलखंड (म.प्र.) में उत्तर (बी) में उल्लिखित उपरोक्त योजना के तहत स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना पर व्यय की मात्री 1490.36 लाख रुपए है।

अनुलग्नक

"वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 984 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम-क

क्र.सं.	नाम	जिला	सब-स्टेशन	क्षमता (मेगावाट)
1	आदित्य राजपुत	सागर	नरियावली	2
2	आकाश सिंह राजपुत	सागर	झिल्ला	2
3	श्री कृष्णा कन्हैया	दामोह	बार्टलाई	1
4	नवीन खरे	टीकमगढ़	खड़गपुर	2
5	संध्या लोधी	पन्ना	रायपुर	1
कुल क्षमता मेगावाट में				08

*****